आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी एवं तारीख सहित। तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 1	आदेश पर की गई कार्यवाही
	जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।	

अधिहरण वाद संख्या– 03/2013–14

राज्य सरकार द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज

–बनाम–

मो0 मिठू वगै0

–: आदेश :–

05.10.2021

प्रस्तुत वाद जिला आपूति पदाधिकारी, साहेबगंज के पत्रांक 34(मु0)/आ0, दिनांक 26.03.2013 एवं अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के पत्रांक 60/आ0, दिनांक 23.02.2013 के द्वारा राजमहल थाना कांड संख्या 33/2013, दिनांक 14.02.2013 में जप्त यमाहा मोटर साईकिल नं0 JH17A-1469 में लदा हुआ 95 (पनचानवे) लीटर किरासन तेल को राजसात (अधिहरित) करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वाद प्रारम्भ किया गया।

मामला संक्षिप्त में निम्न प्रकार है:– दिनांक 14.02.2013 को मो0 मिठू, पिता–मो0 खुर्शीद आलम एवं अजीज अंसारी, पिता–अनारूल अंसारी, सा0–बोरियो (हटियापाड़ा), थाना–बोरियो, जिला–साहेबगंज के द्वारा बभनगामा मोड़ के पास यमाहा मोटर साईकिल नं0 JH17A-1469 में तीन प्लास्टिक जरकिन में भरा हुआ लगभग 95 (पन्चानवे) लीटर किरासन तेल को कालाबाजारी के नीयत ले जाने के क्रम में जप्त कर राजमहल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई, जो राजमहल थाना कांड संख्या 33/2013, दिनांक 14.02.2013 अंकित किया गया।

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, राजमहल को जप्त सामग्री लगभग 95 (पन्चानवे) लीटर किरासन तेल को नियमानुसार बिक्री कर बिक्री मूल्य जिला आपूर्ति नजारत शाखा, साहेबगंज में जमा करने हेतु निदेश दिया गया एवं विपक्षी को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, राजमहल के ज्ञापांक 107/आ0, दिनांक 25.07.2017 से उक्त थाना कांड में जप्त 95 लीटर किरासन तेल को बिक्री कर प्राप्त राशि जिला आपूर्ति नजारत में जमा करने हेतु थाना प्रभारी, राजमहल को सूचित किया।

थाना प्रभारी, राजमहल द्वारा सूचित किया गया कि उक्त थाना कांड में जप्त 95 लीटर किरासन तेल को राजमहल थाना के मालखाना में सुरक्षार्थ रखा गया है।

विपक्षी कारण पृच्छा के साथ उपस्थित। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित कारण पृच्छा में कहा गया कि विपक्षी के द्वारा किसी प्रकार कालाबाजारी नहीं किया गया। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि राजमहल थाना कांड संख्या 33/2013, दिनांक 14.02.2013 में जप्त 95 लीटर किरासन तेल विपक्षी का नहीं है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि पुलिस बल के द्वारा बगैर किसी पर्यवेक्षण के ही घटना स्थल पर मौजूद व्यक्तियों के द्वारा बताये जाने पर विपक्षी के नाम से राजमहल थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दिया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि विपक्षी के विरूद्ध 95 लीटर किरासन तेल कालाबाजारी साबित नहीं किया जा सका है।

आदेश की कमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	 विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध दायर वाद को समाप्त करने का अनुरोध किया गया। अतएव उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि राजमहल थाना कांड में जप्त 95 (पंचानवे) लीटर किरासन तेल का कालाबाजारी किया जा रहा था, जिसके संबंध में किसी अभियुक्त के द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया है। उक्त थाना कांड में जप्त सामग्री को 07 आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–6(ए) के अन्तर्गत राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज को आदेश दिया जाता है कि उक्त थाना कांड में जप्त 95 लीटर किरासन तेल का बिक्री राशि जिला नजारत में जमा करें। लेखापित एवं संशोधित। 5/12/24 जिला दण्डाधिकारी –सह– उपायुक्त, साहेबगंज। 5/12/24 जिला दण्डाधिकारी –सह– उपायुक्त, साहेबगंज।

ज्ञापांक 476/S/08 06.12.20

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2024.12.19 16:35:17 +05:30
Location: 192.168.0.141